दिनांक–15 मई, 2012 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय :–

नगर विकास एवं आवास विभाग

1.	माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार राज्य सहयोग क्रय–विक्रय संघ समिति, (बिस्कोमान), पटना के चार सहायक अभियंताओं एवं एक कनीय अभियंता की सेवा न्यायादेश निर्गत की तिथि से सशर्त्त समायोजन की स्वीकृति के संबंध में।	स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

2.	क्षेत्रीय प्रबंधक, बीमांकिक भारतीय जीवन बीमा निगम के अनुरोध के आलोक में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा–9(1)(b) के अधीन उन्हें बीमा पालिसियों पर इण्डिया इन्श्योरेन्स स्टाम्प के भुगतान के लिए उनके मांग के अनुरूप प्रत्येक त्रैमास में समेकित स्टाम्प शुल्क (Consolidated Stamp duty) जमा करने के बाद राशि के समतुल्य इन्श्योरेन्स स्टाम्प के उपयोग की अनुमति निर्गत किये जाने के संबंध में।	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

3.	प० चम्पारण जिलान्तर्गत अंचल बगहा–2 मौजा कटकुईया थाना संख्या–125 खाता नं०–146 खेसरा संख्या–543/1 रकवा–1.90 एकड़ गैर मजरूआ आम भूमि आई०टी०आई० सेमरा की स्थापना हेतु श्रम संसाधन विभाग, बिहार को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में।	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4.	कटिहार जिला के अंचल–बलरामपुर, मौजा–तेलता, थाना संख्या–64, खाता संख्या–103, खेसरा संख्या–04 रकवा–0.14 डीसमिल एवं खाता संख्या–102, खेसरा संख्या–05, रकवा–0.42 डीसमिल तथा खेसरा संख्या–06, रकवा–0.44 डीसमिल कुल रकवा–1.00 (एक) एकड़ प्रखण्ड परिसर, बलरामपुर के लिए अर्जित भूमि राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु 9,08,500 (नौ लाख आठ हजार पाँच सौ) रूपये सलामी एवं सलामी का 2 प्रतिशत 18,170 (अठारह हजार एक सौ सत्तर) रूपया का 25 गुणा अर्थात् 4,54,250 रूपये पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 13,61,750 (तेरह लाख एकसठ हजार सात सौ पचास) रूपये के भुगतान पर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

5.	पटना चिकित्सा महाविद्यालय/अस्पताल, पटना में वार्षिक नामांकन क्षमता 150 करने हेतु विभिन्न विभागों में विभिन्न कोटि के शैक्षणिक 123 (एक सौ तेईस) अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में।	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

6.	सदर अस्पताल जहानाबाद, का नामकरण अमर शहीद जगदेव प्रसाद सदर अस्पताल, जहानाबाद करने के संबंध में।	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

7.	इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना के मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विभागों के लिए अतिरिक्त 700 (सात सौ) पदों के सृजन के संबंध में।	आरक्षण अधिनियम के प्रावधान के अनुपालन की शर्त्त के साथ स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

8.	लिपिक के वेतनमान रू० 5200–20200 ग्रेड पे 1900/–में पूर्व से स्वीकृत लिपिक के पदों में से 5 (पाँच) पदों का प्रत्यर्पण तथा उसके स्थान पर रू० 7649/–वेतन पर संविदा के आधार पर 5 (पाँच) कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों का सृजन।	स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी)

9.	पटना जिलान्तर्गत बाईपास एवं सगुनामोड़ यातायात थाना की स्थापना एवं उसके संचालन हेतु विभिन्न कोटि के कुल 32 पदों के सृजन के संबंध में।	स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

10.	''मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना'' की संशोधित मार्गदर्शिका प्रारूप की स्वीकृति।	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

11	बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के आलोक में राज्य के सभी जिलों के भू–अभिलेखों का तीन वर्षों में अद्यतनीकरण तथा कम्प्यूटरीकरण करने के लिए राज्य योजना मद से कुल 39421.21 लाख रूपये तथा केन्द्रीय अंशदान की राशि से कुल 18435.64 लाख रूपये के व्यय तथा राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों को मिलाकर समेकित रूप से कुल 3486 पदों के सृजन की स्वीकृति।	स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

12.	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना में गैर योजना मद से स्थायी रूप से 6 (छः) शोध सहायकों के पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	**स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

13.	बिहार प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री (वर्त्तमान में मुख्यमंत्री) मुहम्मद युनूस का जन्म दिवस राजकीय समारोह के रूप में प्रत्येक वर्ष 04 मई को मनाये जाने के संबंध में।	**स्वीकृत।**